राज्यपाल ने दिलाई नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी को शपथ

चर्चा में क्यों?

28 जून, 2022 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) ने राजभवन में उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी को शपथ दिलाई।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने देश के राष्ट्रपति की ओर से न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने से संबंधित अधिसूचना पढ़ी।
- ज्ञातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने 17 मई, 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। विपिन सांघी ने नैनीताल हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के स्थान पर 12वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है।
- न्यायमूर्ति विपिन सांघी का जन्म 27 अक्टूबर, 1961 को नागपुर में हुआ था। उन्होंने दिल्ली में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और सन् 1980 में दिल्ली पब्लिक स्कूल से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा सन् 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी गणित (ऑनर्स) से स्नातक किया और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी से एलएलबी की। इसी वर्ष उन्होंने एक वकील के रूप में दिल्ली बार काउंसिल में दाखिला लिया।
- सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के पैनल वकील के रूप में भी सांघी नियुक्त हुए। वहीं दिसंबर 2005 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कानून सम्मेलनों में भाग लिया है।
- न्यायमूर्ति विपिन सांघी 29 मई, 2006 से दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में तथा 11 फरवरी, 2008 को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। 13 मार्च, 2022 से दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/newly-appointed-chief-justice-vipin-sanghi-took-oath